गीतबाई मारुति (मृत) एल. आर. और ओ. आर. एस. के माध्यम से।

बनाम

एल. आर. एस. और ओ. आर. एस. के माध्यम से पांडुरंग मारुति (मृत)।

/

(2013 की सिविल अपील सं. 7702)

11 अगस्त, 2022

[हेमंत गुप्ता और विक्रम नाथ**,** जे**.** जे**.]**

मुकदमा-विभाजन के लिए-संयुक्त परिवार की पैतृक संपत्ति-दो गाँवों-1 और 2 में स्थित संपत्तियों के लिए वादी द्वारा संयुक्त परिवार की संपत्ति में विभाजन के लिए एक मुकदमा दायर किया गया था-'बी' सामान्य पूर्वज था और अपने पीछे चार बेटे छोड़ गया था, 'एन', 'आर', 'एम' और 'एस'-'एम' विवादित पक्षों का पूर्ववर्ती है और पैतृक संपत्ति में उसका हिस्सा विवाद में है-'एम' ने दो बार शादी की-पहली पत्नी की मृत्यु वर्ष 1948 में प्रतिवादी नं.1,2,3,4 – दूसरी पत्नी और मूल वादी की कार्यवाही के दौरान मृत्यु हो गई और वे अपने कानूनी प्रतिनिधियों (दो बेटे और तीन बेटियां) को पीछे छोड़ गए, जो वर्तमान मामले में मुकदमा चला रहे हैं-गाँव-1 में संपत्ति के संबंध में, उच्च न्यायालय ने इस निष्कर्ष की पुष्टि की कि प्रतिवादी नं।1 'एम' की मृत्यु के बाद उक्त संपत्ति खरीदी थी-गाँव-2 में संपत्ति के संबंध में, उच्च न्यायालय ने कहा कि इस बात के किसी भी सबूत के अभाव में कि 'आर' के हाथ में संपत्ति पैतृक संपत्ति थी, वादी का उक्त संपत्ति में हिस्सा नहीं था-आयोजितःगाँव-1 में संपत्ति के बारे में कोई दलील नहीं दी गई थी कि इसे संयुक्त परिवार की संपत्ति की आय से खरीदा जा रहा है, इसलिए यह संयुक्त पैतृक संपत्ति नहीं है-तीनों न्यायालयों ने समवर्ती रूप से यह अभिनिर्धारित किया है कि गाँव-1 में संपत्ति पैतृक संपत्ति नहीं थी-गाँव-2 में संपत्ति के संबंध में लिखित समझौता ज्ञापन (Ex.111) और उसी (Ex.104) के उत्परिवर्तन के साथ-साथ PW1 और PW2 के साक्ष्य से पता चलता है कि उक्त संपत्ति संयुक्त परिवार की संपत्ति है-इस बात का कोई सबूत नहीं है कि 'R' एकमात्र मालिक था या उसने अपनी आय से विवादित संपत्ति हासिल की थी-यह सुझाव देने के लिए कोई सबूत नहीं है कि विवादित संपत्ति प्रतिवादी नं.1 'आर' द्वारा-इसलिए, वादी और प्रतिवादियों का गाँव-2 की संपत्ति में समान हिस्सा है।

/

/

/

/

/

/

1068 ए.

1069

गीतबाई मारूती रौत (मृत) थ्रू थ्रू बनाम पांडुरंग मारूती रौत (मृत) थ्रू थ्रू ए

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया **:1.** गाँव**-1** में एक संपत्ति के संबंध में, उच्च न्यायालय ने इस निष्कर्ष की पुष्टि की कि प्रतिवादी संख्या **1** ने 'एम' की मृत्यु के बाद गाँव**-1** में संपत्ति खरीदी।यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि अपीलार्थी ने न तो दलील दी और न ही यह साबित किया कि संयुक्त परिवार से होने वाली आय का पर्याप्त केंद्र है जिससे गाँव**-1** में संपत्ति खरीदी जा सकती है।इस न्यायालय को संयुक्त परिवार की संपत्ति की आय से खरीदी गई ग्राम**-1** की संपत्ति के संबंध में कोई अभिवचन नहीं मिलता है।तीनों न्यायालयों ने समवर्ती निर्णय दिया है कि गाँव**-1** की संपत्ति संयुक्त पैतृक संपत्ति नहीं है।इस न्यायालय को गाँव**-1** में स्थित संपत्ति से संबंधित निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिला।**[**पैरा **4] [1071-**ई**-**जी**]**

/

/

2. उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं यानी भाइयों में से एक, 'एस' **(**पीडब्लू**-2)** के नेतृत्व में सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य को गलत पढ़ा है, जिन्होंने पदच्युत किया था कि गाँव**-2** की भूमि पैतृक भूमि थी।उत्परिवर्तन संख्या **1274** स्वयं दर्शाता है कि भूमि भाइयों के बीच विभाजित की गई थी।यह प्रतिवादी संख्या के पक्ष में 'आर' द्वारा उपहार नहीं था।**1,** जैसा कि उच्च न्यायालय ने पाया।प्रतिवादी का नाम नं**.1** 'एम' के हिस्से के संबंध में वर्ष **1966** में 'एम' की मृत्यु के बाद आया, जो 'एम' के संयुक्त परिवार के कर्ता के रूप में सबसे बड़े पुरुष सदस्य थे।प्रतिवादी नं**.1 23.12.1961 (Ex.111)** पर हुए समझौते के संदर्भ में **'M'** के हिस्से में आने वाली संयुक्त परिवार की संपत्ति के कर्ता के रूप में संपत्ति को धारण किया।समझौता **(Ex.111) 'M'** के साथ है न कि प्रतिवादी संख्या के साथ।**1** जैसे कि वह उस दिन जीवित था।चूंकि,

जब **1970** में राजस्व प्रविष्टि दर्ज की जा रही थी**,** 'एम' की मृत्यु के बाद**,** प्रतिवादी नं।**1** कर्ता के रूप में 'एम' की संपत्ति का प्रतिनिधित्व किया।उक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए**,** उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष मान्य नहीं हैं।**[**पैरा **12] [1074-**ए**-**सी**]**

/

/

/

3. चूंकि रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य जिसमें दिनांकित समझौता ज्ञापन **(23.12.1961 (Ex.111)** और उत्परिवर्तन **(Ex.104)** शामिल हैं**,** यह दर्शाते हैं कि गाँव**-2** एक संयुक्त पारिवारिक संपत्ति थी**,** इसलिए 'विभाजन' अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है।इस बात का कोई सबूत नहीं है कि गाँव**-2** की संपत्ति प्रतिवादी नं**.1** 'आर' द्वारा**,** 'बी' का सबसे बड़ा बेटा। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि 'आर' एकमात्र मालिक था या उसने अपनी संपत्ति अपनी संपत्ति से हासिल की थी।

/

/

आय।पीडब्लू**-1,** वादी का स्पष्ट कथन है कि उसके ससुर गाँव**-2** में संपत्ति के मालिक थे।यहां तक कि पीडब्लू**-2** ने भी इसी प्रभाव से पदच्युत किया है।उनकी जाँच 'बी' के जीवित पुत्र के रूप में की गई थी।इस बात के किसी भी प्रमाण के अभाव में कि 'आर' के पास ग्राम**-2** में स्थित संपत्ति के विभाजन के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में संपत्ति खरीदने की क्षमता थी**,** उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों को कायम नहीं किया जा सकता है।'एम' की बेटियों सहित वादी और प्रतिवादियों का गाँव**-2** की संपत्ति में समान हिस्सा है।**[**पैरा **14** और **15] [1075-**ए**-**बी**]**

/

विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा और अन्य। (2020) 9 एससीसी 1:[2020] 10 एससीआर 135; मल्लप्पा गिरिमल्लप्पा बेटगेरी और अन्य बनामआर. येल्लप्पगौड़ा पाटिल और अन्य। ए. आई. आर. 1959 एस. सी. 906; एल. आर. के माध्यम से सुरेंद्र कुमार बनाम फूलचंद (डी)।

/

& एन. आर. (1996) 2 एससीसी 491:[1996] 2 एससीआर 15;

अप्पासाहेब पीरप्पा चामडगेडे बनाम देवेंद्र पीरप्पा चामडगेडे और अन्य। (2007) 1 एससीसी 521:2006

/

(11) स्केल **184-**संदर्भित।संदर्भित निर्णय

[1996] 2 एससीआर **15**

पैरा **8 [2020] 10** एस**.** सी**.** आर**. 135** पैरा **15** को संदर्भित

/

सिविल अपीलीय अधिकारिता 2013 की सिविल अपील सं. 7702।

2007 की दूसरी अपील No.167 में बॉम्बे में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 01.10.2008 से।

/

सुधांशु एस. चौधरी, बी. जी. परब, आर. ए. सोनावने, महेश पी. शिंदे, सुश्री रुचा ए. पांडे, दिलीप अन्नासाहिब तौर, नारायण बाबनराव ढोकले, अधिवक्ता।अपीलार्थियों के लिए।

पी. एस. पटवालिया, पल्लव सिसोदिया, सिद्धार्थ भटनागर, वरिष्ठ अधिवक्ता।, निरनिमेश दुबे, सुश्री रितिका खन्ना, अरविंद एस. अवध, कृष्णकांत टोडकर, भाउसाहेद गदडे, सुश्री प्रचेता कर, आदित्य सिधरा, नदीम अफरोज, सोनल आनंद, अनंत अग्रवाल, समर्थ अग्रवाल, सुश्री श्वेता रानी, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

/

/

1071

गीतबाई मारूती राउट (मृत) थ्रू थ्रू बनाम पांडुरंग मारूती राउट (मृत) थ्रू थ्रू ए

/

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

हेमंत गुप्ता**,** जे।

1. वादी ने बॉम्बे में उच्च न्यायालय द्वारा पारित 01.10.2008 के निर्णय के खिलाफ वर्तमान अपील दायर की, जिसमें उसके द्वारा दायर दूसरी अपील को खारिज कर दिया गया।हालाँकि, अपील के लंबित रहने के दौरान 18.12.2014 पर वादी की मृत्यु हो गई।अब मृतक के कानूनी प्रतिनिधि वर्तमान अपील पर मुकदमा चला रहे हैं।

/

2. यहाँ विचार करने के लिए प्रश्न यह है कि क्या पिरंगुट और नांदे गाँवों की संपत्तियाँ अपील में पक्षकारों के पूर्ववर्ती बालाजी के मृत पुत्र मारुति के हाथों में संयुक्त पारिवारिक पैतृक संपत्तियाँ हैं। स्वीकार किए गए पारिवारिक वृक्ष से पता चलता है कि बालाजी सामान्य पूर्वज थे।वे अपने पीछे चार बेटे नारायण, रघुनाथ, मारुति और सोपान को छोड़ गए।मारुति की मृत्यु 13.7.1966 पर हुई।उन्होंने दो बार शादी की, उनकी दोनों पत्नियों का नाम गीताबाई था।पहली पत्नी गीताबाई की वर्ष 1948 में मृत्यु हो गई थी और वे अपने पीछे प्रतिवादी संख्या 1,2,3 और 4 अर्थात् पांडुरंग, कृष्णकांत, रामचंद्र और मुक्तबाई को छोड़ गई थीं।उनकी दूसरी पत्नी और मूल वादी गीताबाई ने विभाजन के लिए मुकदमा दायर किया।कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान उनकी मृत्यु हो गई और वे अपने पीछे दो बेटे और तीन बेटियां छोड़ गईं, जिनके नाम चंद्रकांत, रमेश, उमा, शैलजा और सुमित्र हैं।3. लावाले में स्थित संपत्ति के संबंध में कोई विवाद नहीं है, जिसे एक संयुक्त पारिवारिक संपत्ति माना गया है, जिसमें एक निष्कर्ष वापस किया गया है कि वादी का संपत्ति में हिस्सा होगा।

/

/

/

4. नान्दे में एक संपत्ति के संबंध में, उच्च न्यायालय ने इस निष्कर्ष की पुष्टि की कि पांडुरंग/प्रतिवादी संख्या 1 ने मारुति की मृत्यु के बाद ग्राम नान्दे में संपत्ति खरीदी।यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि अपीलार्थी ने न तो दलील दी और न ही यह साबित किया कि संयुक्त परिवार से होने वाली आय का पर्याप्त केंद्र है जिससे गाँव नांदे में संपत्ति खरीदी जा सकती है।किसी भी सबूत के अभाव में, गाँव नांदे में स्थित ऐसी संपत्ति के लिए अपीलार्थी के दावे को अस्वीकार कर दिया गया था।मृतक गीताबाई द्वारा दायर की गई शिकायत की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया था, लेकिन हमें संयुक्त परिवार की संपत्ति की आय से खरीदी गई नंदी में संपत्ति के बारे में कोई दलील नहीं मिलती है।तीनों न्यायालयों ने एक साथ यह निर्णय दिया है कि नांदे की संपत्ति संयुक्त पैतृक संपत्ति नहीं है।हमे गाँव नांदे में स्थित संपत्ति से संबंधित निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिलता है।

/

/

5. इसलिए, एकमात्र प्रश्न जो विचार के लिए बचा है, वह यह है कि क्या पिरंगुट गाँव में स्थित संपत्ति एक पैतृक संपत्ति है, जिसमें अपीलार्थियों का हिस्सा था।

/

/

[2022] 6 एस सी आर।

6. वादी ने दलील दी है कि पिरंगुट में जमीन हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) द्वारा खरीदी गई थी।वादी और मृतक मारुति ने प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की देखभाल की।वादी सभी प्रतिवादियों के साथ संयुक्त रूप से रह रहा था और मारुति की मृत्यु के बाद भी संयुक्त परिवार जारी रहा, क्योंकि प्रतिवादी संख्या 1 ने मारुति के परिवार के कर्ता का पद ग्रहण किया।यह दलील दी जाती है कि मारुति के जीवनकाल के दौरान संपत्तियों का विभाजन हुआ था।ज्ञापन को लिखित रूप में कम कर दिया गया था और वर्ष 1961 में बालाजी के सभी चार बेटों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, लेकिन 1970 में मारुति की मृत्यु के बाद ही पारिवारिक समझौते के आधार पर उत्परिवर्तन की मांग की गई थी।

/

7. पिरंगुट में संपत्ति के संबंध में, उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निष्कर्ष वापस किएः

/

“9. यह मुझे पिरंगुट में संपत्ति में अपीलार्थी के दावे पर विचार करने के लिए ले जाता है।पिरंगुट में संपत्ति प्रतिवादी नं. के चाचा रघुनाथ द्वारा ख़रीदी गई थी। 1 19 अगस्त 1947 को कान्हू धोंडू कुडाले से।अपीलार्थी के अनुसार उत्परिवर्तन प्रविष्टि 1274 द्वारा इस संपत्ति का विभाजन किया गया था और पिरंगुट की भूमि प्रतिवादी नं.1. यदि ऐसा है तो स्पष्ट रूप से इसमें अपीलार्थी की हिस्सेदारी है।इसके विपरीत यह प्रतिवादी सं। 1 कि यह संपत्ति रघुनाथ द्वारा 1947 में खरीदी गई थी, जिसे बाद में प्रतिवादी नं.1. पिरंगुट में संपत्ति में हिस्सेदारी का दावा करने के लिए अपीलकर्ता/वादी को यह दलील देनी थी और यह साबित करना था कि पिरंगुट में संपत्ति पैतृक संपत्ति थी।तभी और केवल अपीलार्थी/वादी का इसमें हिस्सा होगा।इस बात के किसी भी सबूत के अभाव में कि रघुनाथ के हाथ में संपत्ति पैतृक संपत्ति थी, मेरे विचार में, अपीलार्थी/वादी उत्परिवर्तन प्रविष्टि संख्या पर भरोसा नहीं कर सकता था। 1274 मुकदमे की संपत्ति में हिस्सेदारी का दावा करने के लिए। "

/

/

/

8. श्री सुधांशु एस. चौधरी, अपीलार्थियों के विद्वान वकील

मल्लप्पा गिरिमल्लप्पा बेटगेरी और ओआरएस के रूप में रिपोर्ट किए गए निर्णयों को संदर्भित किया गया।आर. येल्लप्पगौड़ा पाटिल और अन्य। 1, सुरेंद्र कुमार बनाम फूलचंद (डी) एल. आर. और

ए. एन. आर. के माध्यम से। 2 और अप्पासाहेब पीरप्पा चामडगेडे बनाम देवेंद्र पीरप्पा चामडगेडे और अन्य। 3 मुकाबला करने के लिए

/

कि रघुनाथ द्वारा खरीदी गई संपत्ति से थी

1 आकाशवाणी 1959 एससी 906 2 (1996) 2 एससीसी 491 3 (2007) 1 एससीसी 521 ए

/

1073

गीतबाई मारूती रौत (मृत) के माध्यम से बनाम पांडुरंग मारूती रौत (मृत) के माध्यम से [हेमंत गुप्ता, जे.] ए.

पैतृक संपत्ति की आय और इसलिए, उक्त संपत्ति में, अपीलार्थियों को उनके हिस्से से वंचित नहीं किया जा सकता है।अपीलकर्ताओं ने रघुनाथ के भाई सोपान के बयान का भी उल्लेख किया, जो पीडब्लू-2 के रूप में पेश हुए थे।सोपान ने अपदस्थ कर दिया था कि पैतृक संपत्ति लावाले और पिरंगुट में स्थित है और पिरंगुट में संपत्ति बड़े भाई रघुनाथ के नाम पर दर्ज की गई थी। भाइयों के बीच विभाजन हुआ और इसके लिए एक ज्ञापन (एक्स 111) तैयार किया गया था। 9. अपीलार्थियों द्वारा इस न्यायालय के समक्ष 23.12.1961-Ex-111 दिनांकित ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है।उक्त ज्ञापन में दिखाया गया है कि पिरंगुट गाँव में स्थित भूमि के विभिन्न हिस्से नारायण, रघुनाथ, मारुति और सोपान के हिस्से में आते हैं।भूमि में हिस्से के अलावा, अन्य गतिविधियों की भी व्यवस्था की गई और ज्ञापन तैयार किया गया।जिरह में सोपान ने स्वीकार किया कि नंदे में कोई संयुक्त परिवार नहीं था, लेकिन लावाले और पिरंगुट में स्थित संपत्ति के भाइयों के बीच विभाजन हुआ था।उन्होंने कहा कि पिरंगुट में स्थित संपत्ति उनके भाई रघुनाथ के नाम पर थी।

/

/

/

10. वादी गीताबाई पीडब्लू-1 के रूप में पेश हुईं।उन्होंने विधि च्युत कर दिया कि पिरंगुट में भूमि संपत्ति उन्हें उनके ससुर बालाजी से विरासत में मिली थी।उन्होंने 23.12.1961 पर दर्ज समझौते के ज्ञापन का भी उल्लेख किया है और इसमें रघुनाथ और सोपान (PW-2) के हस्ताक्षर और नारायण के अंगूठे की छाप है।जिरह में, उसने कहा कि उसके ससुर के नाम पर जमीन गाँव लावाले और पिरंगुट में स्थित थी।उन्होंने आगे कहा कि पिरंगुट में स्थित भूमि संपत्ति के साथ-साथ नांदे में संपत्ति उनके पति द्वारा खरीदी गई थी।उन्होंने इस बात से इनकार किया कि पिरंगुट

में स्थित संपत्ति रघुनाथ द्वारा खरीदी गई थी।उन्होंने इस सुझाव का भी खंडन किया कि अकेले गाँव लवले में संपत्ति संयुक्त परिवार की संपत्ति थी।

/

/

11. विभाजन का ज्ञापन 23.12.1961 पर दर्ज किया गया था जब मारुति जीवित थी, लेकिन इसे राजस्व रिकॉर्ड में Ex.104,28.6.1970 पर उत्परिवर्तन संख्या 1274 के माध्यम से प्रभावी बनाने की मांग की गई थी।इस तरह का राजस्व रिकॉर्ड गाँव पिरंगुट में स्थित भूमि के संबंध में है, जिसमें बालाजी के बेटे नारायण, रघुनाथ और सोपान और चौथे भाई मारुति के बेटे पांडुरंग मारुति को गाँव पिरंगुट में स्थित भूमि का अलग हिस्सा आवंटित किया गया है। पांडुरंग को हिस्सा दिया गया था क्योंकि उस समय तक मारुति की मृत्यु हो चुकी थी।इसलिए, पांडुरंग को केवल चार भाइयों के बीच विभाजन करके संपत्ति मिली।

/

/

12. उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं यानी भाइयों में से एक, सोपान (पीडब्लू-2) के नेतृत्व में सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य को गलत पढ़ा है, जिन्होंने पदच्युत किया था कि गाँव पिरंगुट की भूमि पैतृक भूमि थी।उत्परिवर्तन संख्या 1274 स्वयं दर्शाता है कि भूमि भाइयों के बीच विभाजित की गई थी।यह रघुनाथ द्वारा पांडुरंग/प्रतिवादी नं. के पक्ष में उपहार नहीं था।1, जैसा कि उच्च न्यायालय ने पाया।मारुति के हिस्से के संबंध में पांडुरंग का नाम वर्ष 1966 में मारुति की मृत्यु के बाद आया, जो मारुति के संयुक्त परिवार के कर्ता के रूप में सबसे बड़े पुरुष सदस्य थे। पांडुरंग ने संपत्ति को संयुक्त परिवार की संपत्ति के कर्ता के रूप में रखा, जो 23.12.1961 पर हुए समझौते के संदर्भ में मारुति के हिस्से में आ गई थी।समझौता (Ex.111) मारूति के साथ है न कि पांडुरंग के साथ क्योंकि वह उस दिन जीवित था।चूंकि, 1970 में जब मारुति की मृत्यु के बाद राजस्व प्रविष्टि दर्ज की जा रही थी, तब से पांडुरंग ने मारुति की संपत्ति का प्रतिनिधित्व कर्ता के रूप में किया।उक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय द्वारा पैरा 9 में दर्ज किए गए निष्कर्ष मान्य नहीं हैं।

/

/

13. वास्तव में, न तो गीताबाई (पीडब्लू-1) और न ही सोपान (पीडब्लू-2) को यह सुझाव दिया गया था कि संपत्ति रघुनाथ द्वारा पांडुरंग को उपहार में दी गई थी।पांडुरंग ने 23.12.1961 पर चार भाइयों द्वारा दर्ज किए गए विभाजन के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा है।जिरह में उन्होंने स्वीकार किया कि 1960 से पहले उनके पिता और चाचा के बीच विभाजन हुआ था, लेकिन वह सटीक वर्ष नहीं बता सके।वह Ex.111 पर अपने चाचा के हस्ताक्षर की पहचान नहीं कर सके, हालांकि उन्होंने सोपान (PW-2) के हस्ताक्षर की पहचान की।उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उन्होंने उत्परिवर्तन प्रविष्टि संख्या के संबंध में कोई आपत्ति नहीं जताई है। 1274.उन्होंने इस बात से इनकार किया कि उनके पिता ने पिरंगुट में कोई जमीन खरीदी थी।हालाँकि पांडुरंग ने कहा है कि रघुनाथ ने उन्हें संपत्ति उपहार में दी है, लेकिन न तो कोई उपहार विलेख प्रस्तुत किया गया है और न ही अचल संपत्ति मौखिक रूप से उपहार में दी जा सकती है।इसलिए, पांडुरंग का यह रुख कि भूमि उन्हें उपहार में दी गई थी, असमर्थनीय है। इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष बिना किसी सबूत के हैं।

/

/

/

14. उपरोक्त निर्णयों में प्रतिपादित विधि के सिद्धांत विवाद में नहीं हैं।चूंकि अभिलेख पर साक्ष्य जिसमें दिनांकित समझौता ज्ञापन (23.12.1961 (Ex.111) और उत्परिवर्तन (Ex.104) शामिल हैं, यह दर्शाते हैं कि पिरंगुट एक संयुक्त पारिवारिक संपत्ति थी, इसलिए 'विभाजन' अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है।इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि गाँव पिरंगुट की संपत्ति बालाजी के सबसे बड़े बेटे रघुनाथ द्वारा पांडुरंग को उपहार में दी गई थी।इस बात का कोई सबूत नहीं है कि रघुनाथ एकमात्र मालिक थे या उन्होंने अपनी आय से संपत्ति हासिल की थी।वादी गीताबाई का स्पष्ट कथन है कि उनके ससुर ए थे।

/

/

पिरंगुट में संपत्ति का मालिक।यहाँ तक कि सोपान ने भी इसी प्रभाव से पदच्युत किया है।उनकी जाँच बालाजी के जीवित पुत्र के रूप में की गई थी।इस बात के किसी भी सबूत के अभाव में कि रघुनाथ के पास गाँव पिरंगुट में स्थित संपत्ति के विभाजन के संबंध में दस्तावेजी सबूत के रूप में

संपत्ति खरीदने की क्षमता थी, उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों को कायम नहीं किया जा सकता है।

/

15. विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा और अन्य के रूप में रिपोर्ट किए गए इस न्यायालय के निर्णय को देखते हुए मारुति की बेटियों सहित वादी और प्रतिवादियों का पिरंगुट और लवले संपत्ति में समान हिस्सा है। 4.इस प्रकार, गीताबाई, वादी, पांडुरंग, कृष्णकांत, रामचंद्र, मुक्तबाई, प्रतिवादी संख्या 1 से 4, और चंद्रकांत, रमेश, उमा, शैलजा और सुमित्र, प्रतिवादी संख्या 5 से 9 प्रत्येक के पास 1/10 th हिस्सा होगा।गीताबाई का हिस्सा उत्तराधिकार के लागू विधि के अनुसार हस्तांतरित किया जाएगा।खरीदार संपत्ति में उस तरह के ब्याज का हकदार होगा जैसा कि उसके विक्रेता के पास उपरोक्त डिक्री के संदर्भ में था।

/

16. प्रारंभिक डिक्री को उक्त शर्तों में देने का आदेश दिया जाता है।पक्षकारों को विधि के अनुसार सक्षम न्यायालय से अंतिम आदेश लेने का निर्देश दिया जाता है।

/

17. इस प्रकार उपरोक्त शर्तों में अपील की अनुज्ञात है।

अंकित ज्ञान

अपील अनुज्ञात ।

/

(सहायकः आरश चौधरी, एलसीआरए)

/

/

4 (2020) 9 एससीसी 1

/